न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 77/2026 G.C.M.S. No. 2026/263 दर्ज दिनांक : 16.04.2026

अपीलार्थिगण:

01. भलगर पुत्र राजगर, जाति स्वामी, निवासी भूरियों का गोलिया, बाली तहसील बागोड़ा जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

01. कैलाशगिरी पुत्र मोहनगरजी
02. पनगिरी पुत्र मोहनगरजी
03. वसनगिरी पुत्र मोहनगरजी
04. शिवगिरी पुत्र मोहनगरजी
05. पंखीदेवी पत्नी स्व. मोहनगरजी, जातियान स्वामी, निवासीगण भूरियो का गोलिया, बाली तहसील बागोड़ा हाल माखुपुरा तहसील सांचौर जिला जालोर
06. तेजगर पुत्र थानगर उर्फ वोहतगिरीजी
07. भमरगर पुत्र थानगर उर्फ वोहतगिरीजी
08. रमेशगर पुत्र थानगर उर्फ वोहतगिरीजी
09. शिवगर पुत्र थानगर उर्फ वोहतगिरीजी
10. चुनी पुत्री थानगर उर्फ वोहतगिरीजी
11. शारदा पुत्री थानगर उर्फ वोहतगिरीजी
12. बादलीदेवी पत्नी थानगर जी
13. हंसगर पुत्र हमीरगरजी जातियान स्वामी जातियान भूरियों का गोलिया, बाली तहसील बागोड़ा हाल काजा का गोलिया, बी ढाणी तहसील सांचौर जिला जालोर
14. अजमलगर पुत्र खीमगर
15. ओमगर पुत्र खीमगर
16. कृष्णगर पुत्र खीमगर
17. बुधगर पुत्र खीमगर
18. सांवलगर पुत्र खीमगर
19. सुआदेवी पत्नी स्व. खीमगर
20. देवगिरी पुत्र मोहनगरजी, जातियान स्वामी निवासीगण भूरियो का गोलिया, बाली तहसील बागोड़ा जिला जालोर
21 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, बागोड़ा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 79/2021(जीसीएमएस संख्या

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2021/127) बअनवान कैलाशगिरी बनाम अजमलगर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2026 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री कैसाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 27.05.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 79/2021 बअनवान कैलाशगिरी बनाम अजमलगर में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.03.2026 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बाबत् बंटवाडा खातेदारी भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 वादीगण की साक्ष्य न लेते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। वादीगण द्वारा वाद दिनांक 21.10.2021 को प्रस्तुत किया था, उसके पश्चात कागजी कार्यवाही करते हुए अपीलांट को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से जारी करना बताया गया जबकि अपीलांट को किसी प्रकार से नोटिस नहीं मिले न ही किसी प्रकार से नोटिस की डिलीवरी रिपोर्ट प्राप्त किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक्स पार्टी दिनांक 14.06.2024 को किया गया एवं सीधे उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपना पक्ष, अपनी साक्ष्य, जवाब इत्यादि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। सम्पूर्ण कार्यवाही एक्स पार्टी की गयी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 18, 19, 20, 21 के तहत विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार के द्वारा नोटिस देकर तैयार किया जाता है लेकिन तहसीलदार द्वारा मौके पर आकर किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गयी न ही किसी प्रकार से रेवेन्यू बोर्ड के आदेशो की पालना करते हुए अपीलांट को कोई नोटिस ही भेजा हो। केवल मात्र अपने कार्यालय में बैठकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 से मिलीभगत कर फर्जी प्राथमिक डिक्री की पालना करना बताकर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी एवं मौका रिपोर्ट पर न तो तहसीलदार के आदेश क्रंमाक अंकित किये न ही तहसीलदार के मौका देखने की दिनांक ही अंकित की है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 अधीनस्थ न्यायालय के साथ मिलावट कर उक्त निर्णय पारित करवाया है जो हर सूरत में निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 वादीगण की साक्ष्य नहीं ली गयी है। सीधे ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के साथ मिलावट करके एक तरफा फायदा लेने के उद्देश्य से उक्त निर्णय दिनांक 27.03.2026 पारित किया गया है वह हर सूरत में निरस्त योग्य है। बिनाय अपील दिनाक 10.04.2026 को पैदा हुआ जब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 व अन्य लोग मौके पर आये व अपीलांट के खेत की माठ को तोड फोड करने लगे जिस पर अपीलान्ट ने पूछा कि आप मेरी खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भूमि पर क्या कर रहे हो एवं मेरी माठ को क्यो तोड रहे हो तब उपरोक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 ने कहा कि हमने हमारे पक्ष में एसडीओ कोर्ट से आदेश करवा लिया है अब यह खातेदारी हमारी है, हम इस पर हमारी मनमाफिक तोड फोड कर कब्जा बनायेगे, तब अपीलांट ने कहा कि मुझे ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं है तब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 13 ने कहा कि हमने अन्दर मेलमिलावट कर उक्त खातेदारी आराजी हमारे मर्जी माफिक बंटवाडा करवा लिया है व निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 13.04.2026 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2024 की प्रतिलिपि उसी दिनांक 13.04.2026 को प्राप्त हुई तब उपरोक्त प्राथमिक डिक्री तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है। फिर भी किसी प्रकार की देरी मानी जाती है तो अपील के साथ धारा 05 भारतीय म्याद अधियिम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। लिहाजा अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व अन्तिम डिक्री को निरस्त किया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्ध दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.03.2026 को पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2024 को वादी व प्रतिवादीगण के बीच माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाया जाकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बागोड़ा से प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार ने दिनांक 03.02.2026 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 78/2026 भलगर बनाम कैलाश गिरी में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2026 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। चूंकि अंतिम डिक्री व विभाजन प्रस्ताव सारवान रूप से प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम में व उस पर आधारित होते है। अतः ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री अपास्त हो जाने से उक्त डिक्री के अनुक्रम में संपादित पश्चातवर्ती कार्यवाही यथा विभाजन प्रस्ताव, विचारण एवं अंतिम डिक्री स्वतः प्रभाव शुन्य हो जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया पूर्णतयाः विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 79/2021 बअनवान कैलाशगिरी बनाम अजमलगर में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 27.03.2026 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विधि अनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरान्त प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.06.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर बागौड़ा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली